2025/265

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2025 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती छगनी देवी उर्फ सज्जन देवी पत्नी शंकरलाल भोई माली, निवासी तेलीयों का तालाब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पिता भेरूलाल भोई माली, निवासी तेलीयों का तालाब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. किशनलाल पिता भेरूलाल भोई माली, निवासी तेलीयों का तालाब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती भूरीबाई बेवा भेरूलाल भोई माली, निवासी तेलीयों का तालाब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा दिनांक 23.05.2025 प्रकरण
संख्या 137/2019 वाद पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री श्याम सुंदर पालीवाल अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री गिरीश तिवारी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट के पूर्व अधिकारी श्रीमती हरिबाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम तेलियों का तालाब नाथद्वारा, जिला राज[illegible] स्थित आराजी नम्बर 2600 से 2616 कुल किता 17 रकबा [illegible] स्थित है। वादिया के खानदान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष नवला जी होकर उनके दो पुत्र का[illegible] व मेघा हुये कालु का पुत्र भैरूलाल उर्फ भैरा हुआ तथा भैरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है, जबकि मेघा की वारिस हरिबाई वादिया होकर मेघा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्नी है। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में वादिया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होकर पक्षकरान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु वादिया के पति के स्वर्गवास के बाद भूमियां अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी भैरूलाल के नाम पर दर्ज हो गयी एवं भैरूलाल की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी, जिससे प्रतिवादीगण उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों को स्थातांन्तरित कर सकते है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2004 को वादिया का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु वादिया हरिबाई द्वारा आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2011 को प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.03.2015 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां बिल प्रस्तुत की गई, जो भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 31.07.2017 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि ''अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट को 2000/-रुपये कोस्ट अदा करने की शर्त पर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर एवं विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।''(हालांकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2015 एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अधिकारी उदयपुर का निर्णय दिनांक 31.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नहीं है।)

3. भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 किशनलाल ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी के दौरान हाल अपीलान्ट श्रीमती छगनी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में आदेश 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2025 को प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 मृतक हरिबाई ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी, जिससे मृतक हरिबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

के स्थान पर प्रार्थीया छगनी देवी उर्फ सज्जनी देवी को प्रतिस्थापित किया जावें।

4. माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 01.05.2025 को यह आदेश पारित किया कि ''प्रार्थीया वर्तमान में निगरानी व दावें में पक्षकार नहीं होने से हस्तगत निगरानी में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ती पर विवेचन वार निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार बनाने बाबत् निर्णय उपरांत ही किया जाना उचित होगा। अगर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा द्वारा हरिबाई के स्थान पर छगनी देवी को पक्षकार बनाया जाता है तो हस्तगत निगरानी में भी उसे पक्षकार संयोजित कर उसकी प्राथमिक आपत्ति पर समुचित निर्णय ले लिया जावेंगा।''

5. इसी दौरान प्रार्थीया छगनीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ''उक्त प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर से रिमांण्ड होकर सुनवाई हेतु प्रेषित हुआ। उक्त प्रकरण में वादिया श्रीमती हरिबाई का दिनांक 18.11.2017 को स्वर्गवास हो गया है। मृतक हरिबाई ने अपने जीवनकाल में ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों एवं अन्य जायदाद के संबंध में प्रार्थीया के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया है। अतः मृतक हरिबाई के स्थान प्रार्थीया को प्रतिस्थापित किया जावें।''

6. उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि ''उक्त प्रकरण हरिबाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे हरिबाई के वैध उत्तराधिकारी ही प्रकरण चलाने के लिए कायम मुकाम बन सकते है। वादग्रस्त भूमि कभी–भी हरिबाई के नाम अंकित नहीं रही, जिससे वादग्रस्त भूमि हरिबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होने से हरिबाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। वसीयत फर्जी व बनावटी होने से प्रतिवादी शंकरलाल द्वारा सिविल न्यायालय में उक्त वसीयत को शून्य घोषित कराने का वाद प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत [illegible] मानी तब तक प्रार्थीया कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

7. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2025 को यह आदेश पारित किया कि ''प्रार्थीया छगनीदेवी उर्फ सज्जनदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हरिबाई के स्थान पर प्रस्तुतकर्ता को रिकॉर्ड पर लेने का अस्वीकार किया जाकर प्रकरण में वादिया के हद तक कार्यवाही अबैट की जाती है, प्रकरण में जब वादिया स्वयं अकेली होकर उसके विरूद्ध कार्यवाही अबैट होने से वादिया का वाद भी इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।''

8. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23.05.2025 से रुष्ट होकर अपीलान्ट छगनीबाई द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।

9. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी उपस्थित हुये। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर पालीवाल उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया हरिबाई ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त जायदाद की वसीयत दिनांक 04.01.2013 को अपीलान्ट/प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी है। वादिया हरिबाई की मृत्यु दिनांक 18.11.2017 को हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया हरिबाई का वाद अबैट होना मानकर खारिज किया है, जबकि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर वादिया हरिबाई के स्थान पर अपीलान्ट का नाम प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है, जिससे अपीलान्ट/प्रार्थीया के हित प्रभावित हो रहे है तथा वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

11. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बताया कि वादिया हरिबाई विवादित आराजियात की खातेदार [illegible] ऐसी स्थिति में उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया हरिबाई के स्थान पर अपीलान्ट को प्रतिस्थापित किये जाने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है, जो विधि सम्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रार्थीया हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

12. हमने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी नम्बर 2600 से 2616 कुल किता 17 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादिया हरिबाई जिसके फुट स्टेप पर अपीलान्ट/प्रार्थीया छगनी देवी आई है, खातेदार नहीं है। वादिया हरिबाई स्वयं ने वसीयतनामें में यह अंकित किया है कि वह विवादित आराजीयात की खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हरिबाई वादग्रस्त भूमि की खातेदारी नहीं थी तो उसके द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट के पक्ष में जो वसीयत निष्पादित की गई है, उसके आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में किसी प्रकार के हक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीया/अपीलान्ट को इस प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाते है एवं अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है। अपीलान्ट उक्त वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में नया दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

13. अतः अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2025 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती छगनीदेवी उर्फ सज्जनदेवी पत्नी पत्नी शंकरलाल भोई माली, नि. तेलियो का तालाब, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

बनाम

शंकरलाल पिता भेरूलाल भोई माली निवासी तेलियो का तालाब, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं........**38/2025**...........व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**नाथद्वारा**.......... मुकाम..................मुवर्खे..........**23**...............माह..............**05**............**2025**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**28**.......माह.......**01**........सन् **2026** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी....**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**......मिनजानिब अपीलान्ट व.........**श्री गिरीश तिवारी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2025 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......).......रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................ X ....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........**28**......माह.........**01**...........**2026**
को जारी किया गया ।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, [illegible]
दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested